पत्रांक–14/मु013–1126/2010

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

फैक्स/स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय,
भागलपुर।

पटना, दिनांक............

विषयः– सी०डब्लु०जे० सं०–16674/2009 श्याम सुन्दर मिश्रा एवं अन्य तथा सी०डब्लु०जे० सं०–17867/2009 शशि प्रसाद सिंह में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.02.2013 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.02.2013 को पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि विषयांकित मामले में माननीय न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश संख्या–203/2009 दिनांक 09.11.2009 को निरस्त कर दिया गया है एवं राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय को निदेशित किया गया है कि वादी के संबंध में किसी तरह का आदेश पारित करने के पूर्व उसकी सुनवाई किया जाना आवश्यक है।

तद्नुसार विषयांकित मामले की सुनवाई हेतु प्रधान सचिव के कार्यालय कक्ष में दिनांक 17.06.2014 को 12.30 बजे अपराह्न बैठक निर्धारित किया गया है जिसमें आवश्यक अभिलेख के साथ भाग लेना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही इस मामले के वादियों को अपने स्तर से भी सूचित किया जाय कि वे उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर भाग लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– 14/मु013–627/2013 712

पटना, दिनांक 10.6.14

प्रतिलिपिः– श्री श्याम सुन्दर मिश्रा, प्रयोगशाला प्रभारी (जीव विज्ञान)/ श्री गंगाधर चौधरी, पुस्तकालय सहायक/ श्री कार्तिक चन्द्र चक्रवर्ती झा, सहायक/ श्री विभाष चन्द्र झा सहायक/ श्री नजमुल हकीम नइम, प्रयोगशाला प्रभारी (वनस्पति विज्ञान)/ श्री अमरेन्द्र कुमार झा, सहायक/ श्री इन्द्र कान्त झा, प्रयोगशाला प्रभारी (भौतिकी)/ श्री पंकज कुमार झा, प्रयोगशाला प्रभारी (जीव विज्ञान)/ श्री कुमार कौशलेन्द्र प्रसाद सिंह, शौर्टर एवं श्री शशी प्रसाद सिंह, सहायक, टी0एन0बी0 कॉलेज भागलपुर को सूचनार्थ एवं उक्त निर्धारित सुनवाई में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

manu jee